डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक,

कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1— मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री शैलेन्द्र सक्सेना, एम0आई0जी0 ए0—3, सेक्टर—सी, अलीगंज, लखनऊ।
2— मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री आलोक कुमार सिंह, निवासी—बी1/289, विक्रान्त खण्ड,, लखनऊ।
3— प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन।
5— प्रमुख सचिव/सचिव, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6— निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
7— निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0, 5 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
8— सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, 17/9 विन्डसर पैलेस, योजना भवन के पीछे, लखनऊ।
9— डॉ0 उदयभान यादव, पूर्व विभागाध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
10— प्रो0 राजनाथ, विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
11— डॉ0 गनपत सिंह कश्यप, निवासी—टीचर्स कालोनी, धामपुर, बिजनौर।
12— प्रो0 रवि शंकर सिंह, भौतिक विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
13— प्रो0 विनोद कुमार सिंह, आचार्य, अंग्रेजी, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14— प्रो0 शेफाली यादव, आचार्य, विधि, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 1439 /फा0सं0—36(सप्तम्)/डा.श.मि.रा.पु.वि./कार्य0परि0/2023—24 दिनाँकः 06-10-2023

विषयः— **डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की 44वीं बैठक दिनांकः 22 सितम्बर, 2023 का कार्यवृत्त प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की 44वीं बैठक दिनाँक 22 सितम्बर, 2023 के कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

संलग्न— यथोपरि।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः— वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
की मा0 कार्य परिषद की 44वीं बैठक
दिनाँकः 22 सितम्बर, 2023 का कार्यवृत्त

समय– मध्याह्न 12:00 बजे

स्थान– पंचम तल स्थित सभागार,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 44वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/44	**मा0 कार्य परिषद की 43वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद् की 43वीं बैठक दिनाँक 29 मई, 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2/44	**मा0 कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 29 मई, 2023 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद् की 43वीं बैठक दिनांक 29 मई, 2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवलोकित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
3/44	**विश्वविद्यालय के दशम् दीक्षान्त समारोह के मुख्य अतिथि पर विचार।**
	निर्णयः–मा0 कार्य परिषद् में उपस्थित सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के दशम् दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि हेतु पद्मश्री डॉ0 कनुभाई टेलर, अध्यक्ष, डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, सूरत, गुजरात हेतु यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/44	**दशम् दीक्षान्त समारोह में उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र एवं पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में दिनांक 23 सितम्बर, 2023 को आयोजित दशम् दीक्षान्त समारोह में उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र एवं पदक के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए कुल 1622 उत्तीर्ण अर्ह/पात्र विद्यार्थियों को उपाधि (डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं पी.एच.डी. सहित) एवं कुल 142 पदक प्रदान किए जाने हेतु यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया। समारोह में विद्यार्थियों को वितरित किए जाने वाले पदक निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	पदक	विद्यार्थियों की संख्या
1	स्वर्ण पदक	52
2	रजत पदक	45
3	कांस्य पदक	45
कुल पदक		**142**

5/44	**विश्वविद्यालय में 'राज्य दिव्यांग अनुसंधान केन्द्र' की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।**
	मा0 कार्य परिषद को संज्ञानित कराया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा–17 (ञ) के क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय में **'राज्य दिव्यांग अनुसंधान केन्द्र'** की स्थापना किया जाना है जिसके संचालन से दिव्यांगता के क्षेत्र में शोध, नवाचार, अनुसंधानकर्ता व विशेष शिक्षक सहित अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण के साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु पाठ्यक्रम आधारित विशेषीकृत अध्ययन सामग्री के लिए विश्वविद्यालय में बहु–अनुशासनात्मक अनुसंधान एवं नवाचार किया जा सकेगा। **निर्णयः मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में 'राज्य दिव्यांग अनुसंधान केन्द्र' स्थापित किए जाने के सम्बन्ध** में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय प्रदान किये गए :– (1) विश्वविद्यालय में 'राज्य दिव्यांग अनुसंधान केन्द्र' को स्थापित किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। (2) विश्वविद्यालय में 'राज्य दिव्यांग अनुसंधान केन्द्र' स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में शासन को

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में भेजे गये प्रस्ताव का परिशीलन समस्त संकाय के अधिष्ठातागण द्वारा करते हुए उक्त परिशीलित प्रस्ताव मा0 विद्या परिषद एवं मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
6/44	**शैक्षिक संवर्ग की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 30 जून, 2023 एवं 06 जुलाई, 2023 को निर्गत अधिसूचना/नोटिस पर विचार।** दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–आई–43620/2021/2020/ 65 –3001(001)/1/2019, दिनांक 07.01.2021 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी) विनियम, 2018 के प्राविधानों को इस विश्वविद्यालय लागू किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। यू0जी0सी0 नियमन, 2018 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर संशोधन/परिमार्जन निर्गत किये जाते हैं, तत्क्रम में यू0जी0सी0 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम–2018 में दिनांक 30 जून, 2023 एवं दिनांक 06 जुलाई, 2023 को निर्गत अधिसूचना/नोटिस में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी) विनियम, 2018 में संशोधन किया गया है, जिसे विश्वविद्यालय पर शैक्षिक संवर्ग की नियुक्ति हेतु लागू किया जाना है। **निर्णयः मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 30 जून, 2023 एवं यू0जी0सी0 के पत्रांक एफ.9–42/2023(पीएस/मिस.), दिनांक 06 जुलाई को निर्गत अधिसूचना/नोटिस पर सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
7/44	**डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह, पूर्व आचार्य के सेवानिवृत्तिक लाभ के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार।** डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह, पूर्व आचार्य, हिन्दी के सेवानिवृत्तिक लाभ सम्बन्धी दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 01.02. 2023 से संज्ञानित कराया गया कि दिनांक 31.12.2022 को गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय है) से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके द्वारा पेंशन निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही अपने अन्तिम विश्वविद्यालय गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) से न करते हुए डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से किये जाने हेतु समस्त अभिलेखों को निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षण करने पर डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) की पेंशन की देयता से सम्बन्धित आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :– 1. विश्वविद्यालय के नियुक्ति पत्र संख्या–1409/फा0सं0–302/प्रो0नि0/2010–11, दिनांक 07.03.2011 द्वारा प्रोफेसर हिन्दी के पद पर निर्गत नियुक्ति पत्र के क्रम में डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह द्वारा दिनांक 14.03.2011 को योगदान किया गया। डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में योगदान की तिथि से दिनांक 20.11.2019 तक निरन्तर सेवाएं प्रदान की गयी। 2. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय है) के पत्रांक 1458/Rec./Admn/2019 दिनांक 15.11.2019 द्वारा सीधी भर्ती के अन्तर्गत हिन्दी विभाग में प्रोफेसर पद पर डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह का चयन किया गया, जहां पर अधिवर्षता की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। 3. तत्क्रम में गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में डॉ0 सिंह द्वारा चयनोपरान्त किये गये अनुरोध पर विश्वविद्यालय के पत्रांक–1819/फा0सं0–338/व्य0पत्रा0/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0/2019 –20, दिनांक 20.11.2019 द्वारा निम्नलिखित शर्त के अधीन कार्यमुक्त किया गया :– ''डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रोफेसर, हिन्दी के पद पर डॉ0 देवेन्द नाथ सिंह की **अधिवर्षिता आयु 62 वर्ष कार्यालय अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2019** को पूर्ण हो रही है, ऐसी स्थिति में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक (41 दिवस का) असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है, इसके उपरान्त इनके धारणाधिकार का दावा मान्य नहीं होगा।'' 4. तत्क्रम में उक्त शर्तों के दृष्टिगत डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह द्वारा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय है) के नियुक्ति आदेश क्रमांक 1458/भर्ती/ प्रशा./2019, दिनांक

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	15.11.2019 के क्रम में दिनांक 21.11.2019 को योगदान कर लिया गया तथा योगदान करने की तिथि से दिनांक 31.12.2022 तक निरन्तर कार्यरत रहे। 5. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (जो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है) में शिक्षकों की **अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष** निर्धारित है,, जबकि डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अधिवर्षता आयु 62 वर्ष निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह द्वारा दिनांक 31.12.2022 को धारणाधिकार अवधि समाप्त होने के पूर्व विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण न किये जाने की दशा में उनका पेंशन डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से देय होगा अथवा नहीं, सामान्यतः सीधी भर्ती पर हुई नियुक्ति की दशा में किसी भी कार्मिक की अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर अन्तिम संस्था द्वारा ही पेंशन की देयता सुनिश्चित की जाती है। अन्तिम संस्था के रूप में विश्वविद्यालय में कार्य न करने की दशा में इनकी देयता हो सकती है एवं इस संस्था द्वारा डॉ0 सिंह को पेंशन दिये जाने की स्थिति बनती है तो क्या विश्वविद्यालय में बिना कार्यभार ग्रहण किये एवं धारणाधिकार समाप्त होने के पश्चात् भी अन्तिम संस्था (गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर, छत्तीसगढ़) के स्थान पर पूर्व संस्था डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से पेंशन दी जा सकती है। यह भी संज्ञानित करया गया कि वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–सा–3–1984/दस–2001–901–98, दिनांक 28 दिसम्बर, 2001 में शासनादेश संख्या–सा–3728/दस–98–901–98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 के प्रथम प्रस्तर में यह व्यवस्था विद्यमान है कि *''केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर जाता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहाँ से वह सेवानिवृत्त होगा वही सरकार उसके सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी*। उक्त शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि *केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आये या सीधे सेवा ग्रहण करें या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर सीधी भर्ती से जायें तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जाएं।''* **निर्णयः मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह, पूर्व आचार्य के प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय प्रदान किया गया–** **1– डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह दिनांक 31.12.2019 को सेवानिवृत्त एवं धारणाधिकार की समाप्ति स्वतः माना जायेगा।** **2– विश्वविद्यालय डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह को सेवानिवृत्त से पूर्व 41 दिवस अवधि (जिस दौरान असाधारण अवकाश समाप्ति से पूर्व कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण) छोड़कर अपने पूर्व तक की सेवा के आधार पर पेंशन निर्धारित करते हुए पेंशन प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।**
8/44	**विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की 30वीं बैठक दिनांकः 23 अगस्त, 2023 में लिए गये निर्णयों पर विचार।** **निर्णयः**–मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की 30वीं बैठक में लिए गये निर्णय के निर्गत कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
9/44	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**
(1)	**विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्तिक देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।** मा0 कार्य परिषद के सदस्य द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में सेवानिवृत्तिक लाभों को यथाशीघ्र कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।	

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ